पत्रांक 13/म4-34/2000 शि0-- 382
सेकेन्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक

श्री एम0 दास,
विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) ।

(30)

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र-2, कम्यूनिटी सेन्टर, प्रीत बिहार,
विकास मार्ग, नई दिल्ली - 110092

पटना, दिनांक 27 जून 2003

विषय :- डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, सासाराम, रोहतास को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 24-12-02 के निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, सासाराम, रोहतास को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा मान्यता/सम्बद्धता इस शर्त के साथ देने में कोई आपत्ति नहीं है कि विद्यालय के प्रबंधन द्वारा नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए अनुमान्य वेतनमान एवं भत्ता के अनुरूप वेतनमान एवं भत्ते का भुगतान उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाय ।

इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है । यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

विश्वासभाजन,

(signature) 24.6
(एम0 दास)
विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) ।

Principal
D. A. V. Public School
Hansraj Nagar, Admapur
Sasaram, Rohtas

ज्ञापांक 382 पटना, दिनांक 27 जून 2003

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।